

**बिहार सरकार**  
**पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग**

सं०सं०-02/केन्द्र प्रायोजित PM-YASASVI Post Matric Scholarship-01-03/2026- 86

सोवा में,

महालेखाकार,  
वीरचंद पटेल मार्ग, पटना।

पटना, दिनांक- 13/8/26

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में केन्द्र प्रायोजित PM-YASASVI योजना अन्तर्गत अन्य पिछड़े वर्गों के छात्र/छात्राओं के लिए प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना (60:40) हेतु केन्द्रांश एवं राज्यांश में क्रमशः रु० 14404.00 लाख एवं रु० 9602.67 लाख अर्थात् कुल राशि रु० 24006.67 लाख (रु० दो सौ चालीस करोड़ छः लाख सड़सठ हजार) मात्र की स्वीकृति।

आदेश- स्वीकृत।

विभागीय संकल्प सं०-1089, दिनांक-04.09.2025 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 से केन्द्र प्रायोजित PM-YASASVI के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना का संचालन एवं योजनान्तर्गत राज्य के अन्तर्गत सरकारी एवं मान्यता प्राप्त निजी संस्थानों में प्रवेशिकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को निर्धारित दर पर छात्रवृत्ति की कुल अनुमानित वार्षिक व्यय रु० 2,31,67,00,000/- (रु० दो सौ इकतीस करोड़ सरसठ लाख) मात्र की स्वीकृति, योजना का क्रियान्वयन शिक्षा विभाग के माध्यम से कराने, केन्द्र प्रायोजित योजना से अनाच्छादित रह जाने वाले छात्र/छात्राओं को राज्य स्कीम के तहत संचालित मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना-2023 से आच्छादित किये जाने एवं उक्त हद तक विभागीय संकल्प सं०-673, दिनांक-23.03.2023 के संशोधन की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2-समाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक- BC-11014/36/2023-BC-I, दिनांक-23.07.2025 द्वारा Pre-Matric Scholarship for OBC Students, Post-Matric Scholarship for OBC Students & Construction of Hostels for OBC Boys and Girls को SNA-SPARSII के तहत क्रियान्वयन हेतु अधिसूचित किया गया है।

3-वित्तीय वर्ष 2026-27 में बजट उपबन्ध के आलोक में केन्द्र प्रायोजित PM-YASASVI योजना अन्तर्गत अन्य पिछड़े वर्गों (पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग) के छात्र/छात्राओं के लिए प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना हेतु SNA SPARSII के तहत केन्द्रांश एवं राज्यांश में क्रमशः रु० 14404.00 लाख एवं रु० 9602.67 लाख अर्थात् कुल राशि रु० 24006.67 लाख (रु० दो सौ चालीस करोड़ छः लाख सड़सठ हजार) मात्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4-कुल भारित व्यय की राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष-2026-27 में मांग संख्या 11- पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, मुख्यशीर्ष 2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण, उप मुख्य शीर्ष 03- पिछड़े वर्गों का कल्याण, लघु शीर्ष 277- शिक्षा, उपशीर्ष 0215- पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, विषय शीर्ष 34.01-छात्रवृत्ति/वजीफा, विपत्र कोड-11-2225-03-277-0215 पी0एफ0एग0एस10 कोड-9494 अन्तर्गत केन्द्रांश एवं राज्यांश हेतु क्रमशः रु० 14404.00 लाख एवं रु० 9602.67 लाख अर्थात् कुल राशि रु० 24006.67 लाख (रु० दो सौ चालीस करोड़ छः लाख सड़सठ हजार) मात्र विकलनीय होगा।

5- केन्द्र प्रायोजित अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना हेतु Single Nodal Agency पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग है तथा कार्यान्वयन एजेंसी (Implementing Agency) शिक्षा विभाग है।

6-इस स्वीकृत राशि के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, Implementing Agency(IA) के रूप में सचिव, शिक्षा विभाग द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे। Implementing Agency (IA) शिक्षा विभाग के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी केन्द्र प्रायोजित PM-YASASVI योजना के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना अन्तर्गत निर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के संकल्प संख्या-1089, दिनांक 04.09.2025 के आलोक में शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं वित्त विभाग द्वारा SNA-SPARSII हेतु निर्गत प्रक्रिया के तहत स्वीकृत राशि का व्यय नियमानुसार करेंगे तथा व्यय की गयी राशि की व्यय विवरणी समय-समय पर पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को भेजेंगे।

7-उक्त स्वीकृत राशि का व्यय योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष-2026-27 के छात्रवृत्ति भुगतान के लिये किया जायेगा।

8-शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी छात्रवृत्ति की राशि को SNA-SPARSII के प्रक्रिया के तहत ही नियमानुसार व्यय करेंगे। उक्त स्वीकृत राशि को योजनान्तर्गत योग्य लाभार्थियों को नियमानुसार भुगतान प्रक्रिया हेतु वित्त विभाग के निर्देशानुसार NIC Sponsored JIT Portal के माध्यम से किया जाएगा। छात्रवृत्ति हेतु व्यय किये गये राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित समय-सीमा के अन्दर नियमानुसार महालेखाकार को समर्पित करते हुए इसकी सूचना पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को भेजेंगे।

P.T.O

9-संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या-2561, दिनांक-17.04.1998 तथा समय-समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में करेंगे।

10- उक्त स्वीकृत राशि की भुगतान प्रक्रिया BTC Form-43 से संबंधित विपत्र पर की जायेगी।

11-स्वीकृत की जा रही राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में उपलब्ध योजना उद्ब्यय एवं बजट के अन्तर्गत है।

12-प्रस्ताव एवं प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(के० सैथिल कुमार)

अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक-02/केन्द्र प्रायोजित PM-YASASVI Post Matric Scholarship-01-03/2026-86 पटना, दिनांक-13/8/26

प्रतिलिपि- सचिव, शिक्षा विभाग/अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग/अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग/रागी प्रगंडलीय आयुक्त/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/रागी जिला पदाधिकारी/रागी उप विकास आयुक्त/रागी प्रगंडलीय उप निदेशक, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण/रागी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा)/रागी जिला शिक्षा पदाधिकारी/रागी जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी/रागी जिला कोषागार पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक-02/केन्द्र प्रायोजित PM-YASASVI Post Matric Scholarship-01-03/2026-86 पटना, दिनांक-13/8/26

प्रतिलिपि-संयुक्त सचिव/निदेशक/उप सचिव/अवर सचिव (बजट शाखा)/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/लेखा शाखा, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई० टी० मैनेजर, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक-02/केन्द्र प्रायोजित PM-YASASVI Post Matric Scholarship-01-03/2026-86 पटना, दिनांक-13/8/26

प्रतिलिपि-सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक-02/केन्द्र प्रायोजित PM-YASASVI Post Matric Scholarship-01-03/2026-86 पटना, दिनांक-13/8/26

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के आप्त सचिव/माननीय मंत्री के प्रधान आप्त सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव।